

## केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के संबंध में विवरण

### वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18

किसी भी कर प्रणाली और इसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य, सरकारी खर्चों को वित्तपोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों का पता विभिन्न उपायों- विशेष कर दरों, छूटों, कटौतियों, रियायतों, आस्थगनों और क्रेडिटों से चलता है। इन उपायों को समेकित रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर वरीयता' कहा जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर प्रभाव होता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को भी परिलक्षित करते हैं।

कर नीति विशेष कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करती है जिससे कर वरीयता में बढ़ोतरी होती है। इन कर वरीयता परक उपायों का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें वरीयता परक करदाताओं को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी देखा जा सकता है। इन्हें 'कर व्यय' भी कहा जाता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कार्यक्रम आयोजना जिसमें राजस्व पर प्रभाव डालने वाले प्रोत्साहनों का प्रयोग करके विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करना अपेक्षित होता है, सुस्पष्ट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी बजट निर्माण कार्यक्रम में ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभावों) को उनके सम्बन्धित कार्यक्रम शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता है। राजस्व पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने वाले कर प्रोत्साहन अपने आप में कर संविधि में सन्निहित व्यय संबंधी कार्यक्रम हैं।

यह वर्तमान विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों के ऐसे राजस्व प्रभाव को पहली-बार संसद के समक्ष बजट के दौरान प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में परित्यक्त राजस्व के विवरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसका सभी ने स्वागत किया और इससे राजकोषीय नीति से सम्बन्धित सम्पूर्ण मुद्दों पर रचनात्मक परिचर्चा सम्भव हो पायी। इससे सरकार की कर नीति और कर व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के इरादे पर भी विश्वसनीयता की मुहर लगी। इस विवरण के दूसरे संस्करण को बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के माध्यम से तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट प्रलेख के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इसे बजट 2008-09 से 2014-15 के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 2015-16 से और इसके आगे "केन्द्रीय कर सिस्टम के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है क्योंकि जो वास्तविक रूप में विश्लेषित किया जा रहा है, वह राजस्व प्रभाव है।

पहले की भांति यह दस्तावेज उन कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का हिस्सा है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के कारण राजस्व प्रभाव का अनुमान अधिकांशतः "कर अधिमानताओं" के संबंध में किया गया है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए है और यही सब से हाल का वर्ष है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए भी एक प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर किया गया है:

- (क) अनुमानों और पूर्वानुमानों का आशय उन संभावित राजस्व लाभ को दर्शाना है जो छूटों, कटौतियों, भारित कटौतियों और इसी प्रकार के उपायों को हटाने पर प्राप्त किया जा सकेगा। ये अनुमान अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। वे इस मान्यता पर तैयार किये जाते हैं कि इन उपायों को हटाने से अन्तर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं होगा। जिस सीमा तक आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार, समग्र आर्थिक क्रियाकलाप और अन्य सरकारी नीतियों में विशिष्ट कर वरीयता के निरसन के साथ बदलाव आ सकता है उसी सीमा तक राजस्व निहितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर रियायत के प्रभाव का निर्धारण, यह मानते हुए पृथक रूप से किया जाता है, कि अन्य सभी कर उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे। तथापि अनेक कर रियायतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का अन्योन्य मिश्रित प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों को जोड़ कर परिकलित किए गए कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

हालांकि राजस्व प्रभाव की मात्रा को कर व्यय के संदर्भ में बताया गया है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राजस्व की इस मात्रा को सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है। इसके बजाय इन्हें कतिपय क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछेक मामलों में ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप ऐसे प्रोत्साहनों के न मिलने पर संभवतः नहीं हो पाते या बहुत निम्न स्तर पर हो पाते। विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए अपनाई गई धारणाओं और पद्धतियों का उल्लेख इस विवरण के संबंधित भागों में किया गया है।

### प्रत्यक्ष कर

आय कर अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातों; संतुलित क्षेत्रीय विकास; आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की स्थापना; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; तथा सहकारी क्षेत्र तथा व्यक्तियों द्वारा बचत और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में, त्वरित मूल्यहास की भी व्यवस्था की जाती है। इन कर लाभों

में से अधिकांश का फायदा कम्पनी और गैर-कम्पनी करदाताओं दोनों द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में उपर्युक्त क्षेत्रों नामतः कार्पोरेट व गैर-कार्पोरेट फर्मों, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि तथा; व्यष्टियों एवं अविभाजित हिन्दू परिवारों के लिए पृथक रूप से कर प्रोत्साहनों का राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन के क्रियाकलापों में संलिप्त धर्मार्थ (चेरीटेबल) संस्थाओं का ब्यौरा भी दिया गया है। शीर्ष जिनके अंतर्गत राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया है, वे मोटे तौर पर कंपनियों एवं फर्मों आदि दोनों के लिए समान हैं। तथापि, व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्षों को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि ये उनसे ही संबंधित हैं। कार्पोरेट क्षेत्र हेतु विवरण अलग-अलग लाभ के स्लैबों में कंपनियों हेतु प्रभावी कर दरों के फैलाव का भी विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों का क्षेत्रवार विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

#### क. कारपोरेट सेक्टर

बड़े कारोबार मुख्यतः कम्पनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्त वर्ष 2016-17 (अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2017-18) के लिए 30 नवम्बर, 2017 तक 6,08,836 कम्पनियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत आयकर विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी विवरणी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करना अपेक्षित होता है। ये विवरणियां वित्त वर्ष 2017-18 में अनुमानित की गई कुल कंपनी विवरणियों का लगभग 90% बैठती हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर इन कम्पनियों से वित्त वर्ष 2016-17 में उनकी आय पर 3,96,973.07 करोड़ रूपए (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित) का कम्पनी कर देय है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान लाभांश वितरण कर के रूप में 41,443.08 करोड़ रूपए संदेय है।

कर व्यय का अनुमान लगाने के लिए इन 6,08,836 कम्पनियों<sup>1</sup> के आंकड़ों को विश्लेषण हेतु डाटाबेस से चुना गया था तथा इनका ब्यौरा इस विवरण के परिशिष्ट तथा सारणी 1 से 5 तक में दिया गया है। सारणी-1 में इन कम्पनियों के मुनाफों की सीमाओं की जानकारी दी गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए हैं:

- 3,30,730 कम्पनियों (54.32 प्रतिशत) ने कर देने से पहले 14,76,399 करोड़ रूपये का लाभ तथा 10,10,993 करोड़ रूपये की कुल आय (कर योग्य आय)<sup>2</sup> की जानकारी दी है।
- 2,60,194 कम्पनियों (42.74 प्रतिशत) ने 6,34,283.38 करोड़ रूपये के नुकसान होने की सूचना दी है।
- 17,912 कम्पनियों (2.94 प्रतिशत) ने शून्य लाभ की जानकारी दी है।

इन सम्पूर्ण नमूने की प्रभावी कर दर<sup>3</sup> 26.89 प्रतिशत<sup>4</sup> थी [जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में यह दर 28.24 प्रतिशत सूचित की गई थी] जबकि सांविधिक कर दर 1 करोड़ रूपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 30.90 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रु. तक आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रूपये से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.61 प्रतिशत थी जिसके फलस्वरूप औसत सांविधिक दर 34.38 प्रतिशत<sup>5</sup> थी। कम्पनियां, जिनका कर से पहले लाभ (जिसे इसके बाद पीबीटी कहा जाएगा) 500 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक था, का कुल पीबीटी में 61.17 प्रतिशत हिस्सा था तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला कुल 54.45 कम्पनी आयकर देयता का प्रतिशत था। तथापि, उनकी प्रभावी कर दर 23.94 प्रतिशत थी, जबकि उन कम्पनियों, जिनकी पीबीटी एक करोड़ रूपए तक थी, की प्रभावी कर दर 29.43 प्रतिशत थी। छोटी कंपनियों हेतु यह प्रभावी कर दर 29.43 प्रतिशत है जो कम्पनियों में सांविधिक दर के निकट है वह लाभ संबद्ध कटौतियों के धीरे-धीरे समाप्त होने तथा कंपनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (इसे बाद में मैट कहा जाएगा) लगाने के कारण है। संपूर्ण नमूने की 26.89 प्रतिशत की प्रभावी दर हालांकि वित्त वर्ष 2015-16 की प्रभावी दर 28.24 प्रतिशत से मामूली रूप से कम है।

इसे एक करोड़ रूपये तक कर पूर्व मुनाफे वाली कम्पनियों के बारे में कर पूर्व लाभ की कुल आय का अनुपात कुल सैम्पल (76.08 प्रतिशत) के मुकाबले काफी अधिक (89.42 प्रतिशत) है। यह छोटी कंपनियों के लिए काफी उच्चतर 29.43 प्रतिशत की औसत प्रभावी कर दर से भी प्रदर्शित होता है। यह बड़ी कम्पनियों की तुलना में अपेक्षतया छोटी कम्पनियों के मामले में करों से पहले मुनाफों का कम अन्तर प्रदर्शित करता है जो बड़ी कम्पनियों को उपलब्ध कराई जा रही उच्च कर रियायतों के कारण है।

#### सारणी 1: करों से पहले मुनाफों की रेंज वाली सैम्पल कम्पनियों की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2016-17) (सैम्पल आकार-6,08,836)

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में) (लाभ के अनुपात में कर)
1	शून्य से कम	260194	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00
2	शून्य	17912	0.00	9.31	9.31	0.00	0.00
3	0-1 करोड़ रूपए	290250	2.55	3.00	3.00	89.42	29.43

क्रम सं.	करों से पूर्व लाभ	कम्पनियों की संख्या	कर-पूर्व लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कारपोरेट आयकर में हिस्सा (% में)	करों से पूर्व लाभ के अनुपात में कुल आय का प्रतिशत (% में)	प्रभावी कर दर (% में) (लाभ के अनुपात में कर)
4	1-10 करोड़ रूपए	31941	6.63	7.34	7.34	84.16	29.20
5	10-50 करोड़ रूपए	5997	8.74	8.92	8.92	77.64	29.00
6	50-100 करोड़ रूपए	1110	5.29	5.17	5.17	74.46	28.11
7	100-500 करोड़ रूपए	1097	15.63	15.33	15.33	74.62	28.98
8	500 करोड़ रूपए से अधिक	335	61.17	50.25	50.25	62.51	23.94
9	<b>सभी कंपनियां</b>	<b>6,08,836</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>76.08</b>	<b>26.89</b>

1 वित्त वर्ष 2015-16 के लिए नमूना आकार 5,97,884 था।

2 आयकर विवरणी में 'कुल आय' कराधेय आय को निरूपित करती है जैसा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ निकाला जाएगा।

3 कम्पनियों के मामले में प्रभावी कर दर, करों से पूर्व (पीबीटी) कुल लाभों को संदत्त कुल कर (अधिभार एवं शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर को छोड़कर) का अनुपात है एवं प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

4 लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 26.69 प्रतिशत थी।

5 1 करोड़ रुपये तक कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 30.90 प्रतिशत की दर, 10 करोड़ रु. तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत की कर दर तथा कुल 10 करोड़ रु. से अधिक आयवाली कंपनियों के मामले में 34.6 प्रतिशत की कर दर का भारत औसत निकाल कर औसत सांविधिक कर दर निकाली गई है।

**सारणी 2** में प्रभावी कर दरों के संदर्भ में नमूना कम्पनियों की रूप रेखा दी गयी है। इस बात पर गौर किया गया कि 20 प्रतिशत तक की औसत प्रभावी दर वाली 3,45,566 कम्पनियों का हिस्सा कर-पूर्व कुल लाभ का 24.17 प्रतिशत तथा कुल कर योग्य आय का 9.39 प्रतिशत और कुल संदत्त कर का 10.14 प्रतिशत बैठता था। दूसरे शब्दों में, अधिकांश कम्पनियों (3,45,566) अर्थात् 56.76 प्रतिशत हिस्से ने अपने लाभों की तुलना में कर की काफी कम राशि का योगदान दिया। आश्चर्य की बात है कि कुल लाभ का 6.44 प्रतिशत तथा कुल करों का 16.10 प्रतिशत वाली 39,121 कम्पनियों की प्रभावी कर दर 34.38 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के लगभग बराबर थी। यह कम्पनियों में कर देयता के असमान वितरण को दर्शाता है। यह मुख्यतः संविधान में विभिन्न कर तरजीहों के कारण हैं।

**सारणी 2 : नमूना कम्पनियों की प्रभावी कर-दर\* की रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 2016-17) (नमूना आकार-6,08,836)**

क्रम सं.	प्रभावी कर दर (% में)	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	कुल आय में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)
1	शून्य से कम तथा शून्य	2,75,176	3.61	0.76	0.67
2	0-20	70,390	20.57	8.63	9.47
3	20-25	24,619	28.00	17.99	23.49
4	25-30	78,022	11.27	12.77	11.95
5	30-33	1,03,596	30.12	43.75	39.61
6	>33	39,121	6.44	16.10	14.81
7	अनिर्धारित (पीबीटी=0))	17,912	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>6,08,836</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार तथा शिक्षा उपकर शामिल हैं।

**सारणी 3** में सरकारी कम्पनियों (केवल पीएसयू) की प्रभावी कर दर की तुलना निजी कम्पनियों से की गयी है। हालांकि दोनों श्रेणियों की दर सांविधिक दर के मुकाबले कम है, फिर भी निजी क्षेत्र की कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तुलना में अपने मुनाफे का थोड़ा अधिक भाग कर के रूप में देती हैं।

**सारणी 3 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर\* (वित्त वर्ष 2016-17) (नमूना आकार-6,08,836)**

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	सार्वजनिक	215	19.59	18.57	25.48
2	निजी	6,08,621	80.41	81.43	27.23
	<b>योग</b>	<b>6,08,836</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>26.89</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

# कर-निर्धारिती कम्पनियों (पीएसयू) द्वारा उनकी विवरणियों में दी गई सूचना पर आधारित।

**सारणी 4** में सैम्पल कम्पनियों के मामले में विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दरों के मध्य में तुलना दर्शायी गई है। विनिर्माण क्षेत्र की प्रभावी दर 24.75 प्रतिशत की तुलना में सेवा क्षेत्र की प्रभावी कर दर 28.73 प्रतिशत अधिक है। इन दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर 34.38 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

**सारणी 4 : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सैम्पल कम्पनियों की प्रभावी कर दर\* (वित्त वर्ष 2016-17) (नमूना आकार - 6,08,836)**

क्रम सं.	क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सा (% में)	संदेय कुल कर में हिस्सा (% में)	प्रभावी कर दर (% में)
1	विनिर्माण	1,24,205	46.32	42.64	24.75
2	सेवा	4,84,631	53.68	57.36	28.73
	<b>योग</b>	<b>6,08,836</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>26.89</b>

\* प्रभावी कर दर में अधिभार और शिक्षा उपकर शामिल है।

**सारणी 5** में वित्त वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान हुए कर व्यय के संबंध में कम्पनी कर्दाताओं पर प्रमुख कर व्ययों के ब्यौरे दिए गए हैं। यह विश्लेषण 30 नवम्बर, 2017 तक दाखिल की गई कम्पनी विवरणियों पर आधारित है जो वित्त वर्ष 2017-18 में अपेक्षित विवरणियों का 90 प्रतिशत है। सभी कम्पनियों द्वारा विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 30 नवम्बर या उससे पूर्व है तथा विश्लेषित अधिकांश कर रियायतों द्वारा ऐसे प्रोत्साहन के दावे के प्रयोजनार्थ विवरणी का नियत तिथि से पूर्व दाखिल किया जाना अपेक्षित होता है। नमूना आंकड़ों में कर व्यय में किसी भी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन कम्पनियों द्वारा उठाई गई प्रत्येक कर रियायत से होने वाले कर प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 34.38 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर की दर को लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती तथा जनता के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हेतु पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय के कारण हुए राजस्व प्रभाव की गणना, कम्पनियों के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास /कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की गई है। इसके पश्चात्, कर व्यय के आंकड़े पर आने के लिए इस अन्तर पर औसत कारपोरेट कर की 34.38 प्रतिशत की दर लागू की गई है।

कर व्यय का एक और पहलू कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है, जब कर दाता को कर सांविधिक के अन्तर्गत उच्चतर कटौतियों की अनुमति दिए जाने के कारण, वह लघु अवधि के लिए कटौती के रूप में एक भत्ते (उदाहरण मूल्यह्रास भत्ता) का दावा करते हुए अपनी कर देयता को आस्थगित कर सकता है, जहां वह उसी मूल्य ह्रास के दावे को अपने लेखे में कई वर्षों में दिखा रहा होता है। चूंकि मूल्य ह्रास से इस तरह नगद व्यय नहीं होता, अतः इसे कर आस्थगन कहते हैं। दूसरी ओर, कर सांविधिक के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों पर लगने वाला न्यूनतम वैकल्पिक कर, कम्पनी द्वारा अपने शेयर धारकों को दिए गए लाभ (कुछ समायोजनों के अधीन) पर देयता (वित्त वर्ष 2016-17 के सम्बंध में बुक लाभ पर अधिभार और उपकर सहित 20.9 प्रतिशत की दर से) लगाता है, यदि यह देयता सामान्य दरों पर संगणित कर देयता से अधिक है। न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अधिक देयता की अनुमति, क्रेडिट (15 वर्ष तक) के रूप में उस अगले वर्ष तक दी जाती है जिसमें सामान्य कर देयता, न्यूनतम वैकल्पिक कर से अधिक हो। अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बंध में अदा किया गया अतिरिक्त कर, भावी कर देयता का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्य ह्रास के दावों के कारण कर आस्थगन की अवधि को सीमित करता है तथा इसी दावे को लम्बी अवधि में बांटते हुए लाभ से जुड़ी कटौतियों जैसी अन्य कटौतियों के, राजस्व प्रभाव को कम करता है।

वित्त वर्ष 2016-17 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 का कर व्यय परिलक्षित किया गया है। वर्ष 2017-18 के सम्बंध में आंकलन, संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017-18 में परिलक्षित कॉर्पोरेट कर वृद्धि द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को गुणा करते हुए किया गया है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य ह्रास दरों को 40 प्रतिशत तक सीमित करके युक्तिसंगत बनाया गया है और व्यय या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कटौती/भारित कटौती को वित्त वर्ष 2017-18 से चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जा रहा है, सामान्य वृद्धि के बाद मूल्य ह्रास को 12 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि धारा 35कग के तहत कटौती समाप्त कर दी गई है, अतः धारा 35कग के संबंध में कोई आंकलन नहीं किया गया है।

सारणी 5, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कर व्यय के अनुसार कारपोरेट कर्दाताओं पर प्रमुख कर व्यय और वित्त वर्ष 2017-18 का परिलक्षण है।

**सारणी 5: वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कारपोरेट करदाताओं के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव  
(नमूना आकार - 6,08,836)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	धनराशि	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2017-18)
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10 कक)	57,289.10	19,695.99	21,882.02
2.	बढ़ा हुआ मूल्य हास (धारा 32)	1,92,991.38	66,350.44	64,868.81
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा (2कख)	32,762.98	11,263.91	11,012.39
4.	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	870.08	299.13	-
5.	विशिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	5,019.85	1,725.82	1,917.37
6.	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	4,171.95	1,434.32	1,593.51
7.	राजनीतिक दलों को अंशदान देने पर कटौती (धारा 80छछख)	299.80	103.07	114.51
8.	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	20,200.42	6,944.90	7,715.71
9.	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	844.15	290.22	322.43
10.	दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	799.99	275.04	305.56
11.	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80- झक)	33,997.42	11,688.31	12,985.58
12.	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगी कंपनियों के लाभ में कटौती (धारा-80-झक)	441.34	151.73	168.57
13.	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झकख)	4,876.73	1,676.62	1,862.71
14.	पात्र प्रारंभक कंपनियों (स्टार्ट अप) के लाभों की कटौती (धारा 80-झकग)	0.76	0.26	0.29
15.	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	417.38	143.50	159.42
16.	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80झख)	14.40	4.95	5.50
17.	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	2.52	0.87	0.96
18.	खनिज तेलों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	5,457.30	1,876.22	2,084.46
19.	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	189.84	65.27	72.51
20.	शीत श्रृंखला सुविधा के प्रचालन से व्युत्पन्न औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	47.85	16.45	18.28
21.	खाद्य अनाजों की संभाल, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	91.23	31.37	34.85

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	धनराशि	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2017-18)
22.	फलों एवं सब्जियों के संसाधन, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा-80 झख)	810.97	278.81	309.76
23.	ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सालय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	4.92	1.69	1.88
24.	आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में संलग्न औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झखक)	78.33	26.93	29.92
25.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झग)	2,340.67	804.72	894.04
26.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	6,090.99	2,094.08	2,326.50
27.	उत्तराखण्ड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	5,487.25	1,886.52	2,095.90
28.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80 झग)	1,877.15	645.36	716.99
29.	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80-जजक)	125.81	43.25	48.05
30.	नये कामगारों के नियोजन के संबंध में कटौती (80 जजकक)	857.21	294.71	327.42
31.	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (80-उक)	200.82	69.04	76.70
32.	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, कन्वेंशन सेंटर्स के सम्बंध में कटौती (धारा 80-झघ)	2.63	0.90	1.00
	<b>कुल योग</b>		<b>1,30,184.41</b>	<b>1,33,953.59</b>
	घटाइए: न्यूनतम वैकल्पिक कर के कारण अतिरिक्त करदेयता	51,186.09		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के लेखे के दावे द्वारा कमी	7,146.49		
	न्यूनतम वैकल्पिक कर के परिणामस्वरूप निवल अतिरिक्त कर	44,039.60	44,039.60	48,927.48
	<b>कुल परित्यक्त राजस्व</b>		<b>86,144.82</b>	<b>85,026.11</b>

यद्यपि पिछले वर्ष के विवरण में 2016-17 के लिए प्रक्षेपित कर व्यय (न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के कारण अतिरिक्त कर को छोड़कर) 1,25,118.50 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था, जो अब वास्तविक गणना के पश्चात 1,30,184.41 करोड़ रुपए है। एमएटी के परिणामस्वरूप संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहन का वास्तविक राजस्व प्रभाव 83,492.03 करोड़ रुपए के अनुमानित वर्ष में कर व्यय की तुलना में थोड़ा अधिक 86,114.82 करोड़ रुपए है। बढ़ा हुआ मूल्य ह्रास उस लेखा शीर्ष के लिए है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहन की सर्वाधिक राशि (66,350.44 करोड़ रुपए) प्रदान की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विद्युत के उत्पादन, ट्रान्समिशन तथा वितरण से जुड़े उपक्रमों, आधारभूत संरचना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास से जुड़े उपक्रमों तथा आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों द्वारा ली गई कटौती तथा खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के उत्पाद कुल कर प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

कम्पनियों की प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरणी के परिशिष्ट की सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज में व्यापार (अन्य) और इस्पात और चीनी क्षेत्र की प्रभावी कर दर क्रमशः 12.12 प्रतिशत, 17.87 प्रतिशत तथा 18.04 प्रतिशत है। इसी तरह प्रभावी कर दर भी 18.04 प्रतिशत पर औसत से कम है।

#### ख. गैर-कारपोरेट सेक्टर (फर्म/ए.ओ.पी/बीओआई)

कारपोरेट क्षेत्र के अलावा साझेदारी फर्मों, तथा व्यक्तियों के संघ (एओपी) अथवा व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी बड़े व्यवसाय संचालित किए जाते हैं। इन पर कर व्यय कंपनियों जितना अधिक नहीं है। वित्त वर्ष 2016-17 की आय के लिए आयकर विभाग ने 30 नवम्बर, 2017 तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से दायर की गई 8,86,571 विवरणियां प्राप्त की हैं। कर व्यय का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ, आयकर विभाग के डेटाबेस से 8,86,571 फर्मों/एओपी/बीओपी/बीओआई से संबंधित डेटा चुना गया। वित्त वर्ष 2016-17 में फर्मों/एओपी/बीओआई की समष्टि द्वारा संदत्त कर बड़े हिस्से का कारण है।

इस डेटा का विश्लेषण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:

- नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने कर पूर्व लाभ के रूप में 4,51,334.16 करोड़ रुपए की सूचना दी तथा 1,14,507.02 करोड़ रुपए की कुल आय (कराधेय आय) की घोषणा की। 1,21,520 विवरणियों में हानि दर्शाई गई जो नमूने का 13.71 प्रतिशत है।
- इन नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए संदेय आयकर के रूप में (शिक्षा उपकर सहित) 37,894.08 करोड़ रुपए सूचित किया है।

नमूना फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावाकृत प्रत्येक कर रियायत पर, राजस्व प्रभाव की गणना, प्रत्येक कटौती की राशि पर 31.00 प्रतिशत (भारित औसत दर का परिकलन 1 करोड़ रुपये से कम से कम आय वाले प्रतिष्ठानों के लिए 30.90 प्रतिशत दर मानकर और 1 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले प्रतिष्ठानों के लिए 34.61 प्रतिशत दर मानकर किया गया) की आयकर दर लागू करके की गई है। बढ़े हुए मूल्य ह्रास; वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए व्यय पर कटौती/भारित कटौती; जनता के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की पात्र परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय हेतु कटौती और व्यय के कारण कर व्यय की गणना, पहले, फर्मों/एओपी/बीओआई के लाभ और हानि लेखों में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत मूल्यह्रास/कटौती के अन्तर से की जाती है। इसके पश्चात् 31.00 प्रतिशत की आयकर दर को, इस अन्तर पर लागू किया गया है ताकि प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व भार का आकलन किया जा सके।

वित्त वर्ष 2016-2017 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन के लिए राजस्व प्रभाव के आधार पर, वित्त वर्ष 2017-2018 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान किया गया है। 2017-2018 के लिए अनुमान को वर्ष 2016-2017 में संग्रहित वास्तविक आयकर के सापेक्ष 2017-2018 के संशोधित अनुमानों के अनुसार वास्तविक आय कर संग्रहणों के अनुपात की गणना और 2016-2017 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को लागू करके तैयार किया गया है। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल्य ह्रास दरों को 40 प्रतिशत तक सीमित करके युक्तिसंगत बनाया गया है और व्यय या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कटौती/भारित कटौती को वित्त वर्ष 2017-18 से चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जा रहा है, अनुमानों को सामान्य वृद्धि के बाद 12 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि धारा 35कग के तहत कटौती समाप्त कर दी गई है, अतः धारा 35कग के संबंध में कोई आकलन नहीं किया गया है।

**सारणी 6** वित्त वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के दौरान कर व्यय के सम्बन्ध में गैर कारपोरेट करदाताओं के बारे में मुख्य कर व्यय को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2015-16 की तरह, उच्चतम कर व्यय सहकारी सोसाइटियों के लाभों की कटौती के कारण बना रहा जो कि कुल राजस्व प्रभाव का 43.14 प्रतिशत है। उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में उपक्रमों द्वारा व्युत्पन्न लाभों की कटौती के कारण कर व्यय कुल प्रत्यक्त राजस्व का 7.64 प्रतिशत था।

वित्त वर्ष 2016-17 में गैर कारपोरेट क्षेत्र अर्थात् फर्मों, एओपी/बीओआई के सम्बन्ध में कुल कर व्यय 7847.28 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। **सारणी 6** में वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कर व्यय के रूप में गैर-कारपोरेट करदाताओं पर प्रमुख कर व्यय दर्शाया गया है।

**सारणी 6 : वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान गैर-कारपोरेट [फर्मों/एओपी/बीओआई] के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (प्रतिदर्श आकार-7,91,531)**

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	धनराशि	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2017-18)
1	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10कक)	1,163.20	360.59	461.70
2	बढ़ा हुआ मूल्यह्रास (धारा 32)	4,124.70	1,278.66	1,440.73
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) तथा 2कख)	26.52	8.22	9.27
4	जनता के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पात्र परियोजनाओं या स्कीमों पर व्यय के लिए कटौती (धारा 35कग)	34.10	10.57	-
5	निर्दिष्ट कारखानों के संबंध में कटौती (धारा 35कघ)	185.83	57.61	73.76
6	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थाओं को दान पर कटौती (धारा 80छ)	300.39	93.12	119.23
7	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछग)	17.96	5.57	7.13
8	अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	383.78	118.97	152.33

क्रम सं.	प्रोत्साहन का स्वरूप	धनराशि	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2016-17)	संभावित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) (2017-18)
9	विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	40.65	12.60	16.14
10	दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	3.01	0.93	1.20
11	विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	845.73	262.18	335.69
12	विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभों की कटौती (धारा 80 झक)	9.32	2.89	3.70
13	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसरण में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झकख)	98.57	30.56	39.12
14	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	46.91	14.54	18.62
15	जम्मू एवं कश्मीर के अतिरिक्त औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	0.44	0.14	0.18
16	पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	1.80	0.56	0.71
17	आवासीय परियोजनाओं से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	290.07	89.92	115.14
18	शीत श्रृंखला सुविधा के परिचालन से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	13.51	4.19	5.36
19	खाद्य अनाजों के प्रबंधन, भंडारण एवं परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	7.04	2.18	2.80
20	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण एवं पैकेजिंग से औद्योगिक उपक्रमों को होने वाले लाभों की कटौती (धारा 80 झख)	66.47	20.61	26.38
21	आवासीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण-कार्य में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झखक)	3.70	1.15	1.47
22	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	317.97	98.57	126.21
23	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	122.20	37.88	48.50
24	उत्तरांचल में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	308.02	95.49	122.26
25	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80 झग)	446.78	138.50	177.34
26	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण एवं संसाधन के व्यवसाय से होने वाले लाभों की कटौती (80 जजक)	13.55	4.20	5.38
27	विदेशी बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती (80ठक)	19.20	5.95	7.62
28	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों और सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	1.69	0.52	0.67
29	सहकारी समितियों के लाभों की कटौती (धारा 80त)	6,743.24	2,090.40	2,676.56
<b>योग</b>			<b>4,847.28</b>	<b>5,995.22</b>

## ग. व्यक्ति करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में मुख्यतः कतिपय भुगतानों और कतिपय आय पर कटौती का प्रावधान है। व्यक्ति / हिन्दू अविभाजित परिवार करदाता इन कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र हैं तथा उनको व्यापक श्रेणी की कर प्राथमिकताएं उपलब्ध हैं। तथापि, 50 प्रतिशत व्यक्ति करदाता अपनी आय मुख्यतः वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ से जुड़ी कटौतियों (अर्थात् कतिपय व्यवसाय आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर-वेतनभोगी व्यष्टियों का समूह दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा करता है।

व्यक्ति करदाताओं को प्रदान किए गए विभिन्न कर लाभों के कारण राजस्व प्रभाव के अनुमान सारणी 7 में दिए गए हैं। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क के विभिन्न खंडों के अंतर्गत कर प्रभाव का अनुमान 30 नवम्बर, 2017 तक आयकर विभाग के पास व्यष्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल 3,14,44,307 विवरणियों में कर प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न दावों के आधार पर किया गया है। अध्याय VI-क के अलावा वित्त वर्ष 2016-17 में व्यक्ति करदाताओं पर अन्य मुख्य कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यक्ति) के लिए 3,00,000 रुपये की उच्च बुनियादी छूट सीमाओं तथा अति वरिष्ठ नागरिकों (अस्सी या उससे अधिक वर्ष की आयु के व्यक्ति) के लिए 5,00,000 रु. की बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

3,14,44,307 आयकर विवरणियों के नमूनों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी संख्या के लिए कर व्यय का अनुमान निम्नप्रकार से किया गया है:-

- (i) यथोक्त (सारणी 7 की क्रम सं० 24 एवं 25) उच्च बुनियादी छूट सीमाओं के कारण राजस्व प्रभाव का परिकलन प्रति वरिष्ठ नागरिक एवं अति वरिष्ठ नागरिक के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या से गुणा करके किया गया है। उनकी संबंधित संख्या का अनुमान उनके द्वारा दाखिल नमूना विवरणियों की प्रतिशतता का परिकलन करके किया गया है। इसके पश्चात् इस प्रतिशतता को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या के अनुमान पर लागू किया गया है। 30 नवम्बर, 2017 तक आयकर विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल कुल नमूना विवरणियों की संख्या 3,14,44,307 है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए दाखिल 3,93,27,511 विवरणियों के अनुमान की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि मानकर वित्त वर्ष 2016-17 के लिए व्यष्टियों/हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या 4,12,93,887 होने का अनुमान है। नमूना विवरणियों के अनुसार 11.78 प्रतिशत विवरणियां वरिष्ठ नागरिकों द्वारा तथा 0.68 प्रतिशत विवरणियां अति वरिष्ठ नागरिक द्वारा दाखिल की गईं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतर छूट सीमा के राजस्व प्रभाव का परिकलन 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा और उच्चतर बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रु.) के बीच अन्तर और न्यूनतम 10 प्रतिशत की कर दर और उपकर को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 5,150/- रु. है। अति वरिष्ठ नागरिक के लिए छूट सीमा 5,00,000/- रु. है और 25,750 (उपकर सहित) की राशि का ऐसी आय पर संगणित कर साठ वर्ष से कम व्यक्ति द्वारा देय है। इसे प्रत्येक अति वरिष्ठ नागरिक के लिए राजस्व प्रभाव लिया गया है। इसके बाद प्रत्येक ऐसे करदाता (वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक) के कारण कर व्यय 2,50,000/- रु. की सामान्य छूट सीमा से ऊपर ऐसे करदाताओं की संख्या के कुल अनुमान पर और वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 2.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये के बीच की आय पर लागू 5% की दर के अनुसार प्रक्षेपित किया गया है।
- (ii) विशेष रूप से धारा 80-झक, 80-झकख 80-झख, 80-झग और 80-झघ (सारणी 7 की क्रम सं. 13 से 17) के अंतर्गत कटौती के मामले में राजस्व प्रभाव या कर व्यय का परिकलन यह मानकर किया गया है कि वास्तविक आंकड़ा इन धाराओं के अंतर्गत व्यष्टियों द्वारा किए गए कुल दावों को दर्शाता है क्योंकि वित्त वर्ष 2016-17 की आय के लिए सभी लेखा-परीक्षित कर विवरणियां अनिवार्य ई-फाइलिंग के अध्वधीन थीं।
- (iii) अन्य सभी मामलों में, सभी करदाताओं के लिए कर व्यय का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-
  - (क) पहले, प्रत्येक आय स्लेब, जिसके लिए नमूना विवरणियों में पृथक कर दर है, के लिए प्रति करदाता किसी विशेष प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय की गणना की जाती है।
  - (ख) उसके बाद, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए व्यष्टियों द्वारा दाखिल विवरणियों की कुल संख्या में उस आय स्लेब में व्यक्ति करदाताओं की अनुमानित संख्या को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए औसत कर व्यय से गुणा किया जाता है।

इससे किसी विशेष प्रोत्साहन हेतु उस आय स्लेब के लिए कर व्यय प्राप्त होता है। सभी स्लैबों खंडों के लिए कर व्यय के जोड़ से उस विशेष कर प्रोत्साहन के कारण सभी लोगों के लिए कर व्यय प्राप्त होता है।

- (iv) वित्त वर्ष 2016-17 के कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए अनुमान, वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहीत वैयक्तिक आयकर के वर्ष 2016-17 में संग्रहीत वास्तविक वैयक्तिक आयकर के सापेक्ष अनुपात को आकलित करके तथा इस अनुपात को 2016-17 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय पर लागू करके किया गया है। धारा 87क के अन्तर्गत जो छूट दी जाती है उसके मामले में राजस्व प्रभाव इस धारा के अंतर्गत

छूट के मौजूदा 5,000 रुपए से घटाकर 2,500 रुपए करने और इसके भत्ते आय के 5 लाख रुपये के स्थान पर केवल 3.5 लाख रुपये करने तथा करदाताओं की कुल संख्या में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर होने के आधार पर अनुमानित किया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 80गगछ के तहत कटौती को कायम रखा गया है, अतः वित्त वर्ष 2017-18 में कोई नया दावा नहीं होगा और अनुमानित राजस्व प्रभाव को इस धारा के तहत इसमें 10% की कटौती करते हुए आकलित किया गया है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, सारणी 7 वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान व्यष्टि करदाताओं, हिन्दू अवभाजित परिवार के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव दर्शाती है।

### सारणी-7 वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18

#### के दौरान व्यष्टि / हिन्दू अविभाजित परिवार करदाताओं हेतु प्रमुख कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2016-17)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2017-18)
1	कतिपय निवेशों और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	45007.90	58932.86
2	कतिपय पेंशन निधियों में योगदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	204.77	268.12
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	1493.17	1955.14
4	आर जी ई एस एस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80 गगछ)	8.23	7.41
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के कारण कटौती (80घ)	1792.39	2346.94
6	विकलांग आश्रित के चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (80घघ)	406.37	532.10
7	विनिर्दिष्ट बीमारियों के चिकित्सा उपचार हेतु व्यय के कारण कटौती (80घघख)	223.36	292.46
8	उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (80ड.)	528.97	692.63
9	धर्मार्थ न्यासों एवं संस्थानों को दान के कारण कटौती (80छ)	461.29	604.01
10	आवास हेतु चुकाए गए किराए के कारण कटौती (80छछ)	434.56	569.01
11	वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास हेतु दान के कारण कटौती (80छछक)	52.12	68.24
12	राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के कारण कटौती (80छछग)	77.98	102.10
13	अवसंरचना सुविधाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, विद्युत उत्पादन के कार्य में लगे एवं दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झक)	63.33	82.92
14	विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झकख)	0.58	0.76
15	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल के उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास खाद्यान्न के प्रबंधन, भण्डारण एवं परिवहन के एकीकृत कारोबार में लगे तथा जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झख)	22.70	29.73
16	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (80झग)	103.70	135.78
17	विशिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)	0.04	0.05
18	जैविक रूप से नष्ट होने वाले व्यर्थ पदार्थों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के कारोबार से लाभों की कटौती (80 जजक)	6.06	7.94

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2016-17)	प्रक्षेपित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये) (2017-18)
19	पाठ्य पुस्तकों के अलावा कतिपय अन्य पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी आय की कटौती (80थथख)	11.98	15.69
20	पेटेंट पर रॉयल्टी आय की कटौती (80ददख)	1.61	2.11
21	बचत खाता में ब्याज के कारण कटौती (80 ननक)	954.28	1249.52
22	विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती (80प)	269.39	352.73
23	धारा 87क के अन्तर्गत छूट	10078.59	6598.40
24	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	2090.84	1368.86
25	अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च छूट सीमा	553.73	362.52
<b>योग</b>		<b>64,847.93</b>	<b>76,581.41</b>

विभिन्न बचत पत्रों में निवेश किए जाने के लिए कर प्रोत्साहन, आवास ऋण की वापसी तथा बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क के भुगतान के माध्यम से जो राजस्व प्रभाव पड़ता है, (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत आते हैं) वह व्यक्ति करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय होता है। इसके बाद आवासीय व्यक्तियों जिनकी आय 5 लाख रुपये तक होती है, के मामले में कर से दी जाने वाली छूट और कर बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर की जाने वाली कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा के कारण होने वाला कर व्यय भी काफी अधिक होता है। जहां तक लाभपरक कटौतियों का संबंध है, सबसे अधिक कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक और धारा 80झग के कारण है।

#### (घ) धर्मार्थ संस्थाएं:

आय कर अधिनियम में धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्यों में शामिल सरकारी वित्तपोषित संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, कतिपय कार्यकलापों जोकि सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं, में शामिल संस्थाओं को भी विशेष छूट उपलब्ध है। ये संस्थाएं दान, स्वैच्छिक अशंदांन भी प्राप्त करती हैं और धर्मार्थ प्रकृति के कार्यकलापों से इनकी अन्य आय भी होती है। ऐसी संस्थाओं की कुल प्राप्तियों को उन उद्देश्यों, जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया है, हेतु प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

इन संस्थाओं को आय कर विवरणी दायर करनी अपेक्षित होती हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 30 नवम्बर, 2017 तक ऐसी संस्थाओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर विवरणियों की कुल संख्या 1,37,869 है। भारत में ऐसी संस्थाओं द्वारा धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल राशि 3,33,972.41 करोड़ रुपये है।

### परिशिष्ट

#### उद्योगों में नमूना कंपनियों के अधिशुल्क और शिक्षा उपकर सहित प्रभावी कर दर (वित्त वर्ष 2016-17) (नमूना आकार – 6,08,836)

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कंपनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर
1	विनिर्माण उद्योग	कृषि आधारित उद्योग	10,064	13,347.14	3,317.69	24.86
2	विनिर्माण उद्योग	मोटरगाड़ी और मोटरगाड़ी के पुर्जे	4,630	67,077.94	18,880.26	28.15
3	विनिर्माण उद्योग	सीमेंट	606	13,359.53	2,771.08	20.74
4	विनिर्माण उद्योग	हीरा-तराशना	454	2,927.42	790.47	27.00
5	विनिर्माण उद्योग	औषध और औषधीय	5,654	54,701.35	13,290.65	24.30
6	विनिर्माण उद्योग	कम्प्यूटर हार्डवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक	2,441	15,620.72	5,033.96	32.23
7	विनिर्माण उद्योग	अभियांत्रिकी सामान	9,671	42,812.63	12,217.87	28.54
8	विनिर्माण उद्योग	उर्वरक, रसायन, पेंट्स	3,802	26,872.54	7,516.88	27.97
9	विनिर्माण उद्योग	आटा और चावल मिलें	1,512	1,131.36	313.41	27.70
10	विनिर्माण उद्योग	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां	3,436	10,003.65	3,082.41	30.81

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर
11	विनिर्माण उद्योग	संगमरमर और ग्रेनाइट	1,976	617.92	193.02	31.24
12	विनिर्माण उद्योग	कागज	1,329	3,569.73	798.39	22.37
13	विनिर्माण उद्योग	पेट्रोलियम एवं पेट्रोसायन	629	1,33,861.41	28,506.84	21.30
14	विनिर्माण उद्योग	विद्युत और ऊर्जा	5,834	56,465.46	12,447.69	22.04
15	विनिर्माण उद्योग	मुद्रण एवं प्रकाशन	2,527	6,597.47	2,242.88	34.00
16	विनिर्माण उद्योग	रबड़	885	1,068.95	315.29	29.50
17	विनिर्माण उद्योग	इस्पात	4,066	18,542.49	3,313.79	17.87
18	विनिर्माण उद्योग	शर्करा	326	5,222.69	942.04	18.04
19	विनिर्माण उद्योग	चाय, कॉफी	1,034	1,704.15	427.34	25.08
20	विनिर्माण उद्योग	वस्त्र, हथकरघा, बिजली करघा	9,485	15,768.28	3,977.42	25.22
21	विनिर्माण उद्योग	तम्बाकू	259	17,548.90	5,600.44	31.91
22	विनिर्माण उद्योग	टायर	133	6,918.55	1,688.75	24.41
23	विनिर्माण उद्योग	वनस्पति और खाद्य तेल	589	2,751.76	675.90	24.56
24	विनिर्माण उद्योग	अन्य	52,863	1,65,347.71	40,920.81	24.75
25	व्यापार	श्रृंखला भंडार	657	1,569.91	519.84	33.11
26	व्यापार	खुदरा व्यापारी	18,102	8,336.42	2,403.49	28.83
27	व्यापार	थोक व्यापारी	26,342	13,925.19	4,576.37	32.86
28	व्यापार	अन्य	89,195	80,227.80	9,720.88	12.12
29	आढ़तिये	सामान्य आढ़तिये	3,961	1,068.32	300.33	28.11
30	भवन निर्माता	भवन निर्माता	19,349	8,015.24	2,243.04	27.98
31	भवन निर्माता	सम्पदा ऐजेंट	3,502	402.60	81.52	20.25
32	भवन निर्माता	सम्पत्ति विकासक	27,703	17,155.98	4,140.69	24.14
33	भवन निर्माता	अन्य	18,916	4,431.03	1,102.08	24.87
34	ठेकेदार	ठेकेदार: सिविल ठेकेदार	11,047	17,320.15	5,097.20	29.43
35	ठेकेदार	उत्पादशुल्क ठेकेदार	27	8.07	2.34	28.99
36	ठेकेदार	ठेकेदार: खनन ठेकेदार	830	3,786.41	1,665.85	44.00
37	ठेकेदार	ठेकेदार: अन्य	11,892	9,109.51	2,478.13	27.20
38	व्यावसायिक	सनदी लेखाकार, लेखा परीक्षक, आदि	94	7.80	2.64	33.83
39	व्यावसायिक	फैशन रूपांकक	90	40.20	10.24	25.48
40	व्यावसायिक	विधि व्यावसायिक	364	36.61	10.49	28.66
41	व्यावसायिक	चिकित्सा व्यावसायिक	2,037	537.42	165.49	30.79
42	व्यावसायिक	उपचर्या-गृह	1,077	378.60	117.41	31.01
43	व्यावसायिक	विशेष अस्पताल	1,443	1,627.39	487.46	29.95
44	व्यावसायिक	अन्य	6,172	1,190.54	379.76	31.90

क्रम सं.	क्षेत्र	उद्योग	कम्पनियों की संख्या	कर से पहले लाभ (करोड़ रुपये में)	कुल कर (करोड़ रुपये में)	प्रभावी कर दर
45	सेवा क्षेत्र	विज्ञापन अभिकरण	3,155	2,370.86	788.22	33.25
46	सेवा क्षेत्र	सेवा सौंदर्य बैठकखाना	355	47.67	9.99	20.95
47	सेवा क्षेत्र	परामर्शदात्री सेवाएं	19,910	9,847.07	3,648.89	37.06
48	सेवा क्षेत्र	कूरियर एजेंसी	570	607.99	249.85	41.09
49	सेवा क्षेत्र	कम्प्यूटर प्रशिक्षण/शैक्षिक तथा कोचिंग संस्थान	3,875	1,284.44	411.41	32.03
50	सेवा क्षेत्र	फोरक्स डीलर्स	995	161.89	43.27	26.73
51	सेवा क्षेत्र	सत्कार सेवाएं	5,342	1,900.68	575.77	30.29
52	सेवा क्षेत्र	होटल	6,987	2,989.36	828.83	27.73
53	सेवा क्षेत्र	आईटी समर्थित सेवाएं, बीपीओ सेवा प्रदाता	17,544	57,982.56	17,158.68	29.59
54	सेवा क्षेत्र	सुरक्षा अभिकरण	2,179	777.88	271.06	34.85
55	सेवा क्षेत्र	सोफ्टवेयर विकास अभिकरण	14,158	1,04,783.02	25,899.87	24.72
56	सेवा क्षेत्र	परिवहन संचालनकर्ता	4,842	8,859.08	2,339.97	26.41
57	सेवा क्षेत्र	यात्रा अभिकर्ता, दौरा संचालक	4,898	1,235.58	407.83	33.01
58	सेवा क्षेत्र	अन्य	79,377	92,878.52	30,143.79	32.46
59	वित्तीय सेवा क्षेत्र	बैंकिंग कंपनियां	245	1,10,060.94	47,647.94	43.29
60	वित्तीय सेवा क्षेत्र	चिटफंड	2,735	503.13	169.39	33.67
61	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्त संस्थाएं	620	6,796.30	2,657.95	39.11
62	वित्तीय सेवा क्षेत्र	वित्तीय सेवा प्रदाता	2,574	16,814.20	4,880.71	29.03
63	वित्तीय सेवा क्षेत्र	पट्टाधारी कंपनियां	517	2,885.56	619.65	21.47
64	वित्तीय सेवा क्षेत्र	साहूकार	303	183.88	48.77	26.52
65	वित्तीय सेवा क्षेत्र	गेर बैंकिंग वित्त कंपनियां	8,501	71,610.57	23,221.24	32.43
66	वित्तीय सेवा क्षेत्र	शेयर दलाल, उप-दलाल आदि	3,487	10,759.58	2,847.84	26.47
67	वित्तीय सेवा क्षेत्र	अन्य	15,524	45,499.63	12,946.49	28.45
68	मनोरंजन उद्योग	केबल टेलीविजन उत्पादन	372	199.66	62.22	31.17
69	मनोरंजन उद्योग	फिल्म वितरण	321	2,103.15	452.65	21.52
70	मनोरंजन उद्योग	फिल्म प्रयोगशाला	36	19.55	5.27	26.98
71	मनोरंजन उद्योग	चलचित्र निर्माता	692	1,146.41	400.85	34.97
72	मनोरंजन उद्योग	दूरदर्शन चैनल	375	3,705.90	1,023.02	27.61
73	मनोरंजन उद्योग	अन्य	4,606	4,675.78	1,251.51	26.77
74	अन्य	अन्य	36,736	60,692.80	11,189.66	18.44
<b>जोड़</b>			<b>6,08,836</b>	<b>14,76,399</b>	<b>3,96,973</b>	<b>26.89</b>

## वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि में अप्रत्यक्ष करों के लिए कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण

### अप्रत्यक्ष कर

#### क. सीमा शुल्क

1.1 वस्तुओं पर सीमाशुल्क, टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे सामान्यतः बुनियादी सीमाशुल्क-बीसीडी कहा जाता है) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। निर्यात पर, निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदग्रहणीय है। इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में निम्नलिखित के उदग्रहण का प्रावधान है :

क. सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (धारा 3 की उप-धारा (1)) (जिसे सामान्यतः काउंटरवेलिंग ड्यूटी अथवा सीवी ड्यूटी कहा जाता है), और

ख. 4 प्रतिशत की दर पर उदग्रहणीय सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी (धारा 3 की उपधारा (5)) (जिसे सामान्यतः एसएडी कहा जाता है)

1.2 सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में प्रत्येक प्रशुल्क के लिए विनिर्दिष्ट इन दरों को 'प्रशुल्क दरें' के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अथवा संबंधित वित्त अधिनियमों में केन्द्र सरकार (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) जो विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत लगाए गए शुल्कों पर भी लागू होती है, के अंतर्गत) को अधिनियमों के माध्यम से प्रशुल्क दरों से भी कम शुल्क दरें विहित करने की शक्तियां दी गई हैं। ऐसी छूट संबंधी अधिसूचनाओं के जरिए विहित दरों को 'प्रभावी दरें' कहा गया है।

1.3 इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी की गई छूट संबंधी अधिसूचनाओं का मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है,

क. सशर्त छूट अधिनियम; और

ख. बिना शर्त छूट अधिसूचनाएं

1.4 बिना शर्त छूटों में किसी पण्य वस्तु के सभी आयात के लिए प्रयोज्य शुल्क की प्रभावी दरें बिना शर्त निर्धारित की गई हैं। ऐसे मामलों में, प्रशुल्क दरें अपना महत्व खो देती हैं क्योंकि उस पण्य वस्तु का संपूर्ण आयात ऐसी निर्धारित प्रभावी दर पर होता है। अन्य शब्दों में, ऐसे बिना शर्त वाली छूटें वास्तव में संबंधित पण्य वस्तु प्रशुल्क दरें होती हैं।

1.5 इसके अतिरिक्त, भारत ने कई देशों अथवा देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक भागीदार करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया है जिसमें इन देशों अथवा देशों के समूह को भारतीय निर्यात पर प्रशुल्क रियायत के बदले भारत को भी इन देशों अथवा देशों के समूह से किए जाने वाले आयातों पर इसी प्रकार की प्रशुल्क रियायतें देनी होंगी। इसी प्रकार, भारत सूचना प्रौद्योगिकी करार-1 का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है जिसमें भारत को विशिष्ट वस्तुओं पर किसी प्रकार का प्रशुल्क नहीं देना होगा। चूंकि ये तरजीही प्रशुल्क, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के जरिए निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए इन तरजीही प्रशुल्कों को ऐसे आयात के लिए वास्तविक प्रशुल्क माना जा सकता है।

1.6 जैसी कि ऊपर चर्चा की गई है, सशर्त छूटें उच्च प्रशुल्क दर अथवा वास्तविक प्रशुल्क दर की अपेक्षा कतिपय विशेष परिस्थितियों में प्रभावी दरें निर्धारित करती हैं। ऐसे मामलों में केवल वही आयात जो ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, इस प्रकार की प्रभावी दरों के लिए पात्र हैं। इस प्रकार, इन छूटों का परिणम संगत प्रशुल्क दर अथवा वस्तुतः प्रशुल्क दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व में होता है।

1.7 बजट 2016-17 तक, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची अथवा संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क दरों की तुलना में किसी छूट अधिसूचना चाहे सशर्त हो अथवा बिना शर्त, के अंतर्गत निर्धारित प्रभावी दर पर विचार करते हुए सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया था, यह सूत्र इस प्रकार है-

(क) जहां प्रशुल्क और शुल्क की प्रभावी दरें यथामूल्य दरें हैं- कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव = वस्तु का मूल्य x (शुल्क की प्रशुल्क दर - शुल्क की प्रभावी दर)

(ख) जहां प्रशुल्क दर यथा मूल्य आधार पर है किन्तु प्रभावी शुल्क विशिष्ट है, फिर - कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (वस्तु का मूल्य x शुल्क की प्रशुल्क दर) - (वस्तु की मात्रा x विशिष्ट शुल्क की प्रभावी दर)

(ग) जहां प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें यथामूल्य और विशिष्ट दरों का मिश्रण हैं, उस स्थिति में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव तदनुसार आकलित किया जाता है।

1.8 तथापि, उपर्युक्त पद्धति का परिणाम कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अति अनुमान में होता है क्योंकि इसमें बिना शर्त और सशर्त छूटों पर एक ही प्रकार से विचार किया जाता है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है चूंकि बिना शर्त छूटें और प्रभाव में सरकारी वचनबद्धता

को दी गई छूटें वास्तविक प्रशुल्क दरें निर्धारित करती हैं, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का और उचित अनुमान अनिवार्यतः सशर्त छूट खातों पर परित्यक्त राजस्व होगा।

1.9 तदनुसार, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को परिकल्पित करने की पद्धति में संशोधन किया गया है। तदनुसार आगे किए गए विश्लेषण में कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अनुमान के प्रयोजनार्थ ऐसी बिना शर्त दरों अथवा तरजीही प्रशुल्कों पर वास्तविक प्रशुल्क दरों के रूप में विचार किया जाता है। बजट 2017-18 से यही पद्धति अपनाई गई है।

1.10 इसके अतिरिक्त, ऐसी कतिपय तकनीकी छूटें हैं, जैसे भारतीय मूल की वस्तुओं के पुनः आयात के लिए, प्रदर्शनियों, मेलों, विशेष समारोह इत्यादि के अस्थायी आयातों, वारंटी के तहत आयातित वस्तु का प्रतिस्थापन, कंटेनरों को छूट, अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए भेजी गई वस्तुओं पर छूट, अंटार्क्टिका अभियान में प्रयुक्त वस्तुएं इत्यादि। इन अधिसूचनाओं का राजस्व प्रभाव कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से भी निकाल दिया गया है।

1.11 विश्व भर में निर्यात को शून्य दर्जा दिया जाता है। भारत भी अपने निर्यात को शून्य दर्जा देता है। शून्य दर्जा निर्यातों के कई प्रकार हैं जिनमें निर्यात के पक्ष में अथवा इसके विरुद्ध कच्ची सामग्रियों और निविष्टियों के प्रापण पर छूट देना शामिल है। इस प्रकार, ये छूटें निर्यातकों को केवल कर निष्प्रभाविता मुहैया कराती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि हम करों का निर्यात न करें। इनमें विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए जारी की गई अधिसूचनाएं भी शामिल हैं। इन योजनाओं से निर्मित राजस्व प्रभाव को भी कर प्रोत्साहनों के अनुमानित राजस्व प्रभाव से निकाल दिया गया है।

1.12 तदनुसार, सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के अनुमान में निम्नलिखित शामिल नहीं है-

- (क) बिना शर्त बीसीडी, सीवीडी और एसएडी छूटें जिनमें वे छूटें शामिल हैं जहां सशर्त दर सामान्य बिना शर्त दर के समान है, के राजस्व निहितार्थ;
- (ख) विभिन्न एफटीए/सीईपीए/सीईसीए के अंतर्गत तरजीही प्रशुल्क के राजस्व निहितार्थ;
- (ग) पुनः आयात, अस्थायी आयात इत्यादि पर छूट जैसी तकनीकी छूटों के राजस्व निहितार्थ; और
- (घ) निर्यात के लिए कर निष्प्रभाविता अधिसूचनाओं के राजस्व निहितार्थ।

1.13 विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के अंतर्गत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) स्थानों पर भारतीय कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि बिलों से सृजित आंकड़ों पर आधारित है। चूंकि ईडीआई प्रणाली और गैर-ईडीआई स्थानों, या जहां ईडीआई प्रणाली पूर्णतः संचालन में नहीं है या जहां बिलों की प्रविष्टि अभी तक हाथ से की जा रही है, के जरिए आयातों के संबंध में आंकड़े नहीं दर्शाती हैं, अतः कर प्रोत्साहनों के कुल राजस्व के प्रभाव का पता लगाने के लिए उपयुक्त बहिर्वेशन किए जाते हैं।

1.14 नई पद्धति के अनुसार, सीमाशुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव निम्नवत है:-

- (क) विभिन्न अध्यायों के लिए सभी छूटों के राजस्व प्रभाव की गणना ईडीआई आंकड़ों (उपचारात्मक समायोजन के पश्चात) पर आधारित है;
- (ख) ऐसे अनुमानों से, कतिपय शुल्कों जिन्हें काफी समय से नहीं लगाया जाता है, अर्थात् विशेष महत्व की वस्तुओं (जीएसआई) पर अतिरिक्त शुल्क (मार्च, 2006 से छूट), कपड़ों और कपड़ा उत्पादों (टीटीए) पर अतिरिक्त शुल्क (जुलाई, 2004 से छूट) और विशेष उत्पाद शुल्क (एसईडी) (मार्च, 2006 से छूट) के कारण ईडीआई में निरूपित कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को घटाया जाता है;
- (ग) उपर्युक्त (ख) पर प्राप्त अनुमान से, बिना शर्त छूटों और छूटों (एफटीए/पीटीए/आईटीए हेतु) के कारण कुल बीसीडी और सीवीडी का प्रभाव घटाया जाता है;
- (घ) ऐसे अनुमानों में से पुनः आयात या पुनः निर्यात जैसी तकनीकी छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व को घटाया जाता है;
- (ङ) इसके बाद इन अनुमानों का बहिर्वेशन ईडीआई और गैर-ईडीआई दोनों की स्वीकृतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है;
- (च) उपर्युक्त (घ) पर प्राप्त राशि से, निर्यात इनपुट कर निष्प्रभावन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को घटा दिया गया है ताकि कर प्रोत्साहनों के अंतिम राजस्व प्रभाव का पता लगाया जा सके।

1.15 वर्ष 2017-18 के लिए मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के कारण परित्यक्त शुल्क की गणना के लिए उपरोक्त पद्धति अपनाई गई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर दिनांक 01.07.2017 से सीवीडी और एसएडी छूटें वापस ले ली गई हैं, अतः वित्त वर्ष 2017-18 में सीमा शुल्क पक्ष में कर प्रोत्साहनों के प्रभाव दायरे में बीसीडी के कारण परित्यक्त शुल्क ही आते हैं। सीवीडी और एसएडी के कारण जून, 2017 तक परित्यक्त शुल्क और आईजीएसटी भी वर्ष 2017-18 के लिए शामिल नहीं किए गए हैं।

1.16 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए सीमा शुल्क पक्ष पर कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव इस प्रकार बैठता है:

- (क) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए, ईडीआई में वास्तविक प्राप्त सकल सीमाशुल्क राजस्व 96.3 प्रतिशत है। ईडीआई आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का सीमा शुल्क राजस्व प्रभाव (उपचारात्मक समायोजन के पश्चात् 3,20,481 करोड़ रुपये बैठता है। बिना शर्त बीसीडी और सीवीडी छूटों और एफटीए/सीईपीए/सीईसीए छूट इत्यादि के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात्, वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 1,28,788 करोड़ रुपये है। विस्तृत विवरण हेतु इसका बहिर्वेशन ईडीआई के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, पूर्ण वर्ष 2016-17 के लिए सीमाशुल्क का राजस्व प्रभाव 1,33,707 करोड़ रुपये बैठता है।
- (ख) वर्ष 2017-18 (अप्रैल 2017 से सितंबर 2017) में ईडीआई ने सकल सीमा शुल्क राजस्व का 91.20 प्रतिशत प्राप्त किया। ईडीआई डाटा के अनुसार, 2017-18 में (मूल सीमा शुल्क के कारण) कर प्रोत्साहनों का कुल अनुमानित सीमा शुल्क राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद) 1,97,712 करोड़ रुपये होता है। बिना शर्त वाली बीसीडी छूटों और एफटीए/सीईपीए/सीईसीए की छूटों का राजस्व प्रभाव घटाने के पश्चात् 2017-18 में कर प्रोत्साहनों का अनुमानित राजस्व प्रभाव (बीसीडी के कारण) 51,676 करोड़ रुपए बैठता है। ईडीआई द्वारा एकत्रित नहीं किए गए डाटा के बहिर्वेशन के पश्चात् 2017-18 में अनुमानित सीमाशुल्क राजस्व प्रभाव 56,683 करोड़ रुपए बैठता है (केवल बीसीडी के कारण) क्योंकि 01 जुलाई, 2017 से सीवीडी और एसएडी जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं।

1.17 तथापि, इन अनुमानों में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े भी शामिल हैं जो कि प्रतिअदायगी से पृथक अन्य विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के कारण पैदा हुए हैं। व्यक्तिगत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के राजस्व प्रभाव का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इन योजनाओं में से ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट, टारगेट प्लस, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना, सर्वड फ्रॉम इण्डिया और फोकस मार्केट/प्रोडक्ट और इंडिया से पण्य वस्तु निर्यात स्कीम प्रोत्साहन योजनाएं हैं। छूट अधिसूचनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त शुल्क की गणना करते समय इन योजनाओं से होने वाले परित्यक्त राजस्व प्रभाव पर भी विचार किया जाता है। बाकी योजनाएं आदान-कर उदासीनीकरण योजनाएं हैं जिनका मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करना है। चूंकि ये निर्यात प्रोत्साहन स्कीमें नहीं हैं, इन स्कीमों के राजस्व प्रभाव को सीमा शुल्क की ओर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाते हुए छोड़ दिया गया है, जैसाकि नीचे सारणी 8 में दर्शाया गया है।

**सारणी 8 : निर्यात प्रोत्साहन रियायतों के कारण होने वाला राजस्व प्रभाव**

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	योजना का नाम	2016-17	2017-18 (अनुमानित)
1	एडवांस लाइसेंस योजना	29,339	10,679
2	ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	9,073	3,400
3	ईपीसीजी	9,850	2,300
4	डीईपीबी स्कीम	16	3
5	एसईजेड	9,877	3,567
6	डीएफआरसी	0.33	0
7	ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथराइजेशन स्कीम	452	354
8	ड्यूटी फ्री इन्टाइटलमेंट क्रेडिट सर्टीफिकेट	251	183
9	टारगेट प्लस स्कीम	530	0
10	विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना	213	20
11	सर्विस एक्सपोर्ट इनसेंटिव स्कीम	772	1,809
12	फोकस मार्केट/प्रोडक्ट स्कीम	3,861	461
13	भारत से वाणिज्यिक निर्यात योजना	12,746	13,937
	<b>योग</b>	<b>76,980</b>	<b>36,710</b>
14	क्र.सं. 8 से 13 में प्रोत्साहन योजनाओं के परित्यक्त राजस्व को कम रखा गया	18,373	16,408
15	आदान कर उदासीनीकरण या छूट योजनाओं के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व को सीमाशुल्क के सकल परित्यक्त राजस्व में से घटाया जाना है।	58,607	20,302

1.18 इन उपर्युक्त प्राकलनों या राजस्व प्रभाव में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2) के अंतर्गत जारी किए गए तदर्थ छूट आदेश, जिन्हें आपवादिक स्वरूप की परिस्थितियों पर विचार करते हुए विशिष्ट मामलों में लागू किया जाता है, को तदर्थ रूप में प्रयोग में लाए जाने के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

1.19 2016-17 के दौरान सीमा शुल्क के अंतर्गत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव निर्धारित करने के लिए गणनाओं का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रम.सं.	शीर्ष	फार्मूला	राशि (रु. करोड़)
क	ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का कुल राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद)	-	3,20,481
ख	एफटीए/सीईपीए/सीईसीए सहित बिना शर्त बीसीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	1,53,976
ग	बिना शर्त सीवीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	35,117
घ	एसएडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	-	2,600
ङ	कुल बिना छूट के कारण राजस्व प्रभाव	(ख+ग+घ)	1,91,693
च	ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव (सशर्त छूट)	क-ङ	1,28,788
छ	ईडीआई और गैर-ईडीआई स्थानों दोनों को कवर करने के लिए बहिर्वेशन	गx100/च*	1,33,707
ज	आदान कर उदासीनीकरण योजना के कारण परित्यक्त राजस्व शुल्क	-	58,607
झ	<b>कर प्रोत्साहन का अंतिम राजस्व प्रभाव</b>	छ-ज	<b>75,100</b>

\* च गैर-ईडीआई डाटा कवर करने के लिए बहिर्वेशन कारक है। ईडीआई ने 2016-17 में वास्तविक सकल सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण का 96.30 प्रतिशत प्राप्त किया है।

1.20 नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2017-18 के दौरान सीमाशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रोत्साहनों (केवल बीसीडी के कारण) के अनुमानित राजस्व प्रभाव का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त परिकलनों को संक्षेप में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	शीर्ष	फार्मूला	राशि, रुपये में (अप्रैल से सितम्बर 2017 के दौरान के आंकड़ों के आधार पर वार्षिक आधार पर परिकलित)
क	ईडीआई डाटा के अनुसार बीसीडी के कारण कर प्रोत्साहन का निवल राजस्व प्रभाव (सुधारात्मक समायोजन करने के बाद)	—	1,97,712
ख	एफटीए/सीईपीए/सीईसीए सहित बिना शर्त बीसीडी छूट के कारण राजस्व प्रभाव	—	146036
ग	ईडीआई डाटा के अनुसार कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव (बीसीडी के कारण)	क-ख	51,676
घ	ईडीआई और गैर-ईडीआई स्थानों दोनों को कवर करने के लिए बहिर्वेशन	गx100/च*	56,683
ङ	आदान कर उदासीनीकरण योजना के कारण परित्यक्त राजस्व शुल्क	—	20,302
च	<b>अप्राप्त वास्तविक शुल्क</b>	घ-ङ	<b>36,381</b>

\* च गैर-ईडीआई डाटा कवर करने के लिए बहिर्वेशन कारक है। ईडीआई ने 2017-18 में वास्तविक सीमा-शुल्क राजस्व संग्रहण का 91.20 प्रतिशत प्राप्त किया है।

1.21 वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अधिसूचना (केवल बीसीडी) [आईटीए को छोड़कर] के अंतर्गत अधिमान्य दरों के राजस्व प्रभावों का नीचे उल्लेख किया गया है।

क्रम सं.	एफटीए अधिसूचना	करोड़ रुपये	
		2016-17	2017-18 (वार्षिक आधार पर परिकलन)
1.	आसियान देशों से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी शुल्क दर	5,738	8,845
2.	कोरिया से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी शुल्क दर	3,470	8,872
3.	जापान से आयातित वस्तुओं के लिए रियायती शुल्क दर	1,988	2,678
4.	नेपाल से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए छूट	713	612
5.	मलेशिया से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी शुल्क दर	664	956
6.	थाइलैण्ड से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए छूट	473	579
7.	सिंगापुर से आयातित विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रभावी शुल्क दर	452	581
8.	अन्य	530	636
<b>9</b>	<b>कुल</b>	<b>14,028</b>	<b>23,759</b>

बहिर्वेशन के पश्चात कॉलम 3 और 4 में दी गई राशि को वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए गैर-ईडीआई डाटा को कवर करने के लिए क्रमशः 96.30 प्रतिशत और 91.20 प्रतिशत के कारक द्वारा दर्शाया गया है।

1.23 2016-17 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव तथा 2017-18 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव तुलनीय नहीं है क्योंकि 2016-17 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव बासीडी, सीवीडी और एसएडी के कारण है जबकि 2017-18 के दौरान कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव का अनुमान केवल बीसीडी के आधार पर लगाया गया है (1 जुलाई, 2017 से सीवीडी और एसएडी को जीएसटी में मिला दिया गया है)।

## ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

2.1 उत्पाद शुल्क को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाया जाता है। अधिकांश मामलों में विभिन्न वित्त अधिनियमों द्वारा यह निर्धारित होता है कि विशिष्ट वस्तुओं पर यह शुल्क किस दर से लगाया जाना है। विभिन्न अधिनियमों में विनिर्दिष्ट दरों को उत्पाद शुल्क की **टैरिफ दरों** के नाम से जाना जाता है।

2.2 सीमा शुल्क के मामले के समान ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 या संबंधित वित्त अधिनियमों में भी केन्द्र सरकार को अधिसूचनाओं के माध्यम से टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क(1) के अंतर्गत जिसे विभिन्न वित्त अधिनियमों के अंतर्गत उगाही गई लेवी के संबंध में भी लागू किया गया है। अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित दरें सामान्य रूप में **“प्रभावी दरों”** के नाम से जानी जाती हैं।

2.3 सीमा शुल्क के ही समान उत्पाद शुल्क के मामले में, सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो किस्मों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

क. सशर्त छूट अधिसूचनाएं; और

ख. बिना शर्त छूट अधिसूचनाएं

2.4 उक्त धारा 5 क (1) के अंतर्गत सामान्य छूट अधिसूचनाओं को जारी करने की शक्ति के अलावा केन्द्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5 क (2) के अंतर्गत कतिपय आपवादिक परिस्थितियों में मामले दर मामले के आधार पर उत्पाद शुल्क से छूट देने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकती है। तथापि, सामान्य छूट से भिन्न, जो केन्द्र सरकार की राजकोषीय नीति का अभिन्न हिस्सा है, छूट जारी करने का मुख्य उद्देश्य आपवादिक स्वरूप के मामलों से निपटना है। इस प्रकार इस विशेष छूट आदेशों के जारी किये जाने के कारण होने वाले राजस्व प्रभाव की गणना, कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ों के रूप में नहीं की जा रही है।

2.5 बजट 2016-17 तक, उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची अथवा संबंधित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रशुल्क दरों की तुलना में सशर्त अथवा बिना शर्त वाली किसी भी छूट अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई प्रभावी दर को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया गया था, जिसका फार्मूला निम्नानुसार है:

(क) ऐसे मामलों में, जहां उत्पाद शुल्क का प्रशुल्क तथा प्रभावी दर यथा मूल्य दरें हैं वहां कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = वस्तु का मूल्य X (उत्पाद शुल्क की प्रशुल्क दर - उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर)

(ख) ऐसे मामलों में, जहां दर यथा मूल्य आधार पर है परन्तु प्रभावी दर विशिष्ट है वहां कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव = (वस्तु का मूल्य X उत्पाद शुल्क की दर) - (वस्तु की मात्रा X विशिष्ट उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर)

(ग) उन मामलों में जहां प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें, यथा मूल्य का संयोजन हैं, वहां तदनुसार कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव में विशिष्ट दरों की गणना की जाती है।

2.6 2017-18 के बजट में उत्पाद शुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना प्रणाली भी संशोधित की गई थी तथा बिना शर्त अधिसूचनाओं द्वारा लागू की गई दरों को वास्तव में प्रशुल्क दरों के समान माना गया। यही विधि वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहनों के अंतिम राजस्व प्रभाव को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई गई है। चूंकि उत्पाद शुल्क (तम्बाकू उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले शुल्क को छोड़कर) जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। अतः उत्पाद शुल्क के लिए कर प्रोत्साहनों और राजस्व प्रभाव का 2017-18 के मद से परिकलन रोक दिया गया है।

2.7 उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ऑटोमेशन सिस्टम देश के सभी उत्पाद शुल्क निर्धारण में प्रचालित है। फिर भी, जहां एसीईएस डाटा में सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित सभी वस्तुओं का ब्यौरा नहीं है, और उस हद तक इस आंकड़े के आधार पर परित्यक्त राजस्व के अनुमान के परिणामस्वरूप कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का कम अनुमान लगाया गया। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रोत्साहन के कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान एसीईएस के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निर्धारिती द्वारा विवरणियों में निहित आंकड़ों को परिलक्षित किया गया है। क्षेत्र आधारित छूट की स्कीमों के प्रचालन के कारण राजस्व प्रभाव संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्रों से अलग से प्राप्त किए गये।

2.8 वर्ष 2016-17 के दौरान दो प्रकार की क्षेत्र आधारित छूट योजनाएं चल रही थीं:

(क) धन वापसी पर आधारित (उत्तर-पूर्व तथा जम्मू एवं कश्मीर) और

(ख) पूर्ण छूट (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड)।

धन वापसी आधारित छूटों के मामले में, राजस्व प्रभाव की संगणना वर्ष के दौरान व्यक्तिगत इकाईयों को वास्तव में स्वीकृत या उनके द्वारा दावाकृत सभी धन वापसियों के योग के आधार पर की जाती है। जहां तक पूर्ण छूटों का संबंध है, राजस्व प्रभाव की गणना सामान्य लागू दर और ऐसे छूट का लाभ उठाने वाले यूनितों द्वारा योजित मूल्य पर वास्तविक रूप से भुगतान किये गये शुल्क (शून्य) के अंतर का प्रयोग करते हुए की जाती है।

2.9 तदनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव 1,71,824 करोड़ रुपए बैठता है जिसमें 48,191 करोड़ रुपए सशर्त छूट, 1,00,660 करोड़ रुपए बिना शर्त छूट, रुपए 22,973 करोड़ क्षेत्र आधारित छूट शामिल है। बिना शर्त उत्पाद शुल्क ड्यूटी छूटों के राजस्व प्रभाव को घटाने के पश्चात, वर्ष 2016-17 के लिए कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव 71,164 करोड़ रुपए बैठता है।

3. अप्रत्यक्ष करों के राजस्व प्रभाव का नीचे संक्षेप में वर्णन किया गया है:

**वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कर प्रोत्साहनों (अप्रत्यक्ष करों) का राजस्व प्रभाव**

	2016-17 में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव	2017-18 में कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (अनुमानित)
सीमा शुल्क	75,100	36,381
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	71,164	-
<b>जोड़</b>	<b>1,46,264</b>	<b>36,381</b>

4. माल एवं वस्तु कर के अंतर्गत छूट का राजस्व प्रभाव बजट 2019-20 से प्रदान किया जाएगा।